उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला
(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार)

अल्पकालिक निविदा सूचना
(भोजन प्रदान करने के लिए)

उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला समय–समय पर अपने सदस्य राज्यों यानि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चण्डीगढ़ में विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले कलाकार प्रदर्शन करते हैं।

प्रतिष्ठित फर्मों/एजेंसियों जिनके पास राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक उत्सवों/त्यौहारों में काम करने का अनुभव व प्रमाणित रिकॉर्ड, फेल प्रूफ दृष्टिकोण के साथ, बिना किसी विध्न के कार्य करने में सक्षम और वैध खाद्य सुरक्षा प्रमाणपत्र हो, से विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों में आमंत्रित कलाकारों/प्रतिभागियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए निविदाएं (दो भागों में) – भाग I – तकनीकी बोली और भाग II – मूल्य बोली **https://www.gerpegov.com/MOC** पर आमंत्रित की जाती हैं। व्यक्तियों की संख्या और खानपान के दिनों की संख्या अलग–अलग समयों पर भिन्न भिन्न हो सकती है।

निविदाएं जिनमें तकनीकी बोली और मूल्य बोली शामिल है, निदेशक, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला को संबोधित की जानी चाहिए और 06/09/2023 को दोपहर 01.00 बजे तक **https://www.gerpegov.com/MOC** पर अपलोड की जानी चाहिए, जो उसी दिन दोपहर 03.00 बजे खोली जाएगी। तकनीकी बोली में उनके कार्य अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण, पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न, रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर, पैन नंबर आदि भी शामिल होगा। केवल उन्हीं फर्मों/एजेंसियों की मूल्य बोलियां खोली जाएंगी जो तकनीकी बोली की जांच में अर्हता प्राप्त करेंगी। फर्मों/एजेंसियों को निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रुपये 1,00,000/– (केवल एक लाख रुपये) जमा करने होंगे। अधोहस्ताक्षरकर्त्ता बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अधिक जानकारी के लिए फोन नम्बरः 0175–2211429, 2202918 पर संपर्क कर सकते हैं।

मूल्य बोली प्रपत्रः

बेड टी और नाश्ताः बेड टी बिस्कुट के साथ – नाश्ता – आलू भाजी + पूरियाँ + फल व चाय या वैज सैंडविच/जैम स्लाइस + फल व चाय या भरवां प्रांठा और दही/चना + भटूरा + फल व चाय या पिन्नी या ब्रेड बटर/ब्रेड जैम + फल व चाय

दोपहर का भोजन और शाम की चायः बासमती चावल + रोटी + दाल + मौसमी सब्जी + सलाद + रायता + अचार और शाम की चाय + समोसा/ब्रेड पकोड़ा/आलू बोंडा/मठरी

रात का खानाः बासमती चावल + रोटी + दाल + मौसमी सब्जी + सलाद + रायता + अचार + मीठी डिश (खीर/कस्टर्ड/हलवा)

नॉनवेज (चिकन/मटन/मछली) और पनीर डिश (शाकाहारियों के लिए) की दर अलग से उद्धृत की जाए हालांकि एल–1 पर पहुंचते समय इसे भी गिना जाएगा।

नोटः–

- कृपया सुनिश्चित करें कि भोजन का स्तर ऊंचा हो और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो।
- प्रत्येक वस्तु की दरों में जीएसटी या ऊपर उल्लिखित सभी करों को बिना किसी अस्पष्टता की गुंजाइश के स्पष्ट शब्दों में बताया जाना चाहिए।
- विरसा विहार केन्द्र, पटियाला या कलाग्राम, चण्डीगढ़ और 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्थानों पर कलाकारों आदि को भोजन उपलब्ध कराना केवल एक समान दर पर होगा। पटियाला या चण्डीगढ़ के 100 किमी के दायरे से परे, कंपनियां/एजेंसियां एनजेडसीसी द्वारा तय की जाने वाली प्रतिस्पर्धी दरों पर परिवहन हेतु अतिरिक्त शुल्क ले सकती हैं। अतिरिक्त परिवहन शुल्क की गणना 100 किमी की कटौती के बाद की जाएगी।
- भोजन (नाश्ता/दोपहर का भोजन/शाम की चाय/रात का खाना) एक ही दिन और समय पर दो या तीन स्थानों पर एक साथ परोसा जा सकता है।
- इस कार्य की अवधि 31 मार्च 2024 तक है, जिसे आपसी सहमति से आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
- संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई होगा तो केवल वेबसाइट **https://www.gerpegov.com/MOC** और **www.culturenorthindia.com** पर ही उपलब्ध कराया जायेगा।

हस्त/–

निदेशक